

FORM NO-III

२०२२/१७

फर्द अहकाम  
(नियम 26)

अज अदालत - जिला कलक्टर मुकाम अजमेर  
श्री कैलाश सिंह चौहान. बनाम श्रीमती सुशीला देवी, ब्यावर  
किस्म मुकदमा:- धारा 16 माता पिता एवं वरिष्ठ नागरिक  
भरण पोषण कल्याण अधिनियम 2007

प्रकरण संख्या: 48 सन् 2022

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए
31.08.2022	अपीलान्त उपस्थित। अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पॉन्डेंट को नोटिस जारी हो। अधीनस्थ न्यायालय का संबंधित रेकार्ड तलब किया जाकर पत्रावली दिनांक 21.09.2022 को पेश हो।	<p>3787 6/9/22 3788 6/9/22</p>
21/9/22	<p style="text-align: center;">(अंश दीप) जिला मजिस्ट्रेट, अजमेर</p> <p>अपीलान्त / रेस्पॉन्डेंट उपस्थित / रेस्पॉन्डेंट द्वारा जवाब पति अपीलान्त को उपलब्ध कराते हुए पेश किया जो शामिल किया। तत्पश्चात अपीलान्त द्वारा जोज अदालत की भावना से आदरणीय माताजी के विरुद्ध प्रस्तुत अपील अंशरी स्तर पर आह्वित करने का निवेदन किया गया। आरोपित पर वास्तविक स्वरूप अपील आह्वित किये जाने के अनुरोध किया करते हुए अपने हस्ताक्षर अंकित किये।</p> <p>उपरोक्तानुसार अपीलान्त द्वारा अपील आह्वित किये जाने से अपील अपीलान्त अंशरी स्तर पर इसी कदम से आह्वित किये जाने से विस्माहित की जाती है। पत्रावली ई-स्टील शुमार हो पर नम्बर से कम हो।</p> <p style="text-align: center;">(अंश दीप) जिला मजिस्ट्रेट, अजमेर</p>	<p>21/9/22</p> <p>सुशीला</p> <p>लोक अदालत की भावना से आदरणीय माताजी के विरुद्ध प्रस्तुत अपील पर आह्वित किये जाने से</p> <p>21/9/22</p> <p>इसी स्तर पर आह्वित किये जाने से</p>